(क) देश में उर्वरकों एवं पौध रक्षक दवाओं के निरन्तर बढ़ते उपयोग के कारण फलों, अनाजों एवं अन्य भोजन सामग्री में बढ़ रहे हानिकारक तत्वों का विवरण क्या है,

(ख) इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) इस पर नियंत्रण एवं संतुलन कायम करने के लिए की जा रही कार्रवाई में प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) महोदय, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण फलों अनाजों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्वों का कोई समावेश नहीं है। देश में उर्वरकों की खपत का वर्तमान स्तर पर लगभग 87 कि॰ ग्रा॰ पौषक तत्व प्रति हेक्टेयर है जो अन्य पड़ौसी देशों जैसे बंगला देश (135 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰) चीन (370 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰), कोरिया (375 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰) तथा पाकिस्तान (113 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰) की तुलना में काफी कम माना जाता है।

जब अच्छी कृषि विधियों के अनुसार कृमिनाशी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो तैयार फसल में वे कुछ अवशेष के रूप में रह सकती हैं जो सामान्यतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत निर्धारित सह्य स्तरों (अधिकतम अवशेष सीमा) के भीतर होती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर कराए गए सीमित अध्ययनों से पता चला है कि चावल, अनाजों, फलों और सब्जियों जैसे अधिकतर खाद्य पदार्थों में कृमिनाशी दवाओं के अवशेष अधिकतम निर्धारित सह्य सीमाओं के भीतर थे। लेकिन, विशेष रूप से तेज असर वाली कृमिनाशी दवाओं के अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग और अनुचित प्रयोग के कारण कभी-कभी तैयार फसल में इनके अवशेषों की मात्रा अधिक रह जाती है।

सरकार द्वारा किए गए निवारक उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति विभिन्न फसलों पर कृमिनाशी दवाओं के उपयोग का अनुमोदन करते समय मात्राएं और प्रतीक्षा अवधि निर्धारित करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कृमिनाशी दवाओं के अवशेष खाद्य *अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954* के अधीन निर्धारित सह्य सीमाओं से अधिक न हों।

(2) ऐसे तेज असर वाली तथा विषाक्त ऐसी कृमिनाशी दवाओं के प्रयोग पर रोक या प्रतिबंध लगाया गया है जिनके अत्यधिक अवशेष रह जाने की सम्भावना हो।

(3) कृमिनाशी दवाओं के सुरक्षित उपयोग के लिए अच्छी कृषि विधियों की सिफारिश की गई ताकि अवशेषों को अत्यधिक कम किया या हटाया जा सके।

(4) सरकार कृमियों और रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित कृमि प्रबन्ध की नीति को बढ़ावा दे रही है जिसमें कृत्रिम कृमिनाशी दवाओं का उपयोग न्यूनतम है तथा नीम परभक्षियों, परजीवियों आदि सहित जैविक कृमिनाशियों का उपयोग संस्तुत किया जाता है।

(5) देश भर में समेकित कृमि प्रबन्ध अपनाने हेतु किसानों और विस्तार कर्मियों के लिए एक बृहत शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

(6) जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(7) किसानों और आम जनता को जानकारी देने के लिए समेकित कृमि प्रबन्ध पर आकाशवाणी, मुद्रित और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिये प्रचार।

(8) उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985, कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को लागू किया गया है ताकि क्रमशः उर्वरकों और कृमिनाशी दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा खाद्य पदार्थों में कृमिनाशी दवाओं के अवशेषों की मानिटरिंग की जा सके।

ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप कृमिनाशी दवाओं की खपत 1993-94 के 63,651 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) से कम होकर 1997-98 में 48,784 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) रह गई है।

Protection of domestic Edible Oil Sector

*330. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any policy to support the Indian market from large scale dumping of imported oil which in effect has hampered the development of the domestic oil seed cultivation and exploitation of non traditional sources;

(b) whether Government have achieved its target of production of oilseeds to availability of oil;

(c) whether Government are planning to extend any extra support to the edible oil sector; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The import of edible oil is permitted under OGL in order to augment the domestic availability and to make available edible oil to the consumers at reasonable prices. The import of edible oil is not having any adverse effect on the cultivation of oilseeds as there is a further scope for increasing the production of oilseeds to meet the growing demand for edible oil.

(b) Against the production target of 25.5 million tonnes fixed by the Planning Commission, the achievement was 22.02 million tonnes during the year 1997-98 and for the year 1998-99 the target fixed is 27.0 million tonnes against which the estimated production is likely to be 24.2 million tonnes.

(c) and (d) No special programme is envisaged for supporting the edible oil sector.

Power Generation from Brahmapura Tributaries

*331. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether his Ministry has any plan to utilise water resources of tributaries of the Brahmaputra like Dichang, Dihing, Dikhow, Dhansiri, etc. for generating power, enhancing irrigation facilities, and for controlling floods;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, will the Ministry take it up in the near future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Brahmaputra Board has prepared Master Plans for Flood Management in the tributaries of Brahmaputra river like Desang, Buridihang, Dikhow and Dhansiri which has also identified the potential in those tributaries for development of hydropower and irrigation as under.

Tributary	Hydropower potential (MW)	Irrigation potential (ha)
Desang	21.80	1,14,097
Buridihing	113.40	71,564
Dikhow	482.50	12,279
Dhansiri	100.00	64,474

The Master Plans have been circulated to the States for implementation of individual schemes from the funds allocated under State Plan Sector by the Planning Commission. Government of Assam is implementing Dhansiri irrigation project in Darrang district at an estimated cost of Rs. 224.80 crore.

Scams detected during 1997-98

*332. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of scams detected during 1997-98 and till date in the country;

(b) the names of prominent persons, departments, industrial groups against whom cases have been filed by the C.B.I.;

(c) the number of charge sheets so far filed in the various courts by the C.B.I., till date; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) As informed by the Central Bureau of Investigation, a total number of four Scams (CRB Scam, Indian Bank Scam, Wheat Scam and Bitumen Scam), each involving more than one crore of rupees, were detected by them during 1997-98 and till date in the country.

(b) to (d) The Central Bureau of Investigation registers cases against individual persons, office bearers and officials in the departments and not against departments. Central Bureau of Investigation has already